

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (GST) DEPARTMENT

No. F.2(1)FD/SPFC/2017

Jaipur, dated: 14-5-2018

ORDER

The Finance Department circular No. F.9(1)FD-1(1)Bud/2012 (Circular No. 9/2015) dated 01.07.2015 regarding Hiring of Computers (along With trained personnel) is hereby withdrawn w.e.f. 25.04.2018.

By Order,

Sd/
(Manju Rajpal)

Secretary, Finance (GST), RHB

NO. 354

RAJASTHAN HOUSING BOARD, JAIPUR

DATE: 21/8/18

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

1. PS to Chairman/Housing Commissioner, RHB, Jaipur
2. PS to Chief Engineer, RHB, Jaipur.
3. Sr. P.A. to F.A.&C.A.O./Secretary/C.E.M./Director Law, RHB, Jaipur.
4. Sr. P.A. to Addl. Chief Engineer-I/II/III, RHB, Jaipur
5. Dy. Housing Commissioner, RHB, Circle
- Resident Engineer, RHB, Division
- Accounts Officers, (Payment), RHB, Jaipur
- ✓ Civil Cells of RHB ...*Computer*
Project Director, RUDSICO, Jaipur.
10. Master File.

SD
Finance Advisor
Rajasthan Housing Board,
Jaipur

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी-एसपीएफसी) विभाग
क्रमांक-एफ.2 / एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी / 2017

जयपुर दिनांक— ११/०७/२०१४
परिपत्र संख्या : ०३/२०१४

परिपत्र

विषय:-वित्त(सा.वि.ले.नि / एसपीएफसी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.04.2018, परिपत्र दिनांक 30.04.2018 तथा आदेश दिनांक 14.05.2018 के संबंध में स्पष्टीकरण वाबत।

इस विभाग द्वारा ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना एफ.2 / एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी / 2017 दिनांक 25.04.2018 तथा आदेश क्रमांक एफ.2 / एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी / 2017 दिनांक 14.05.2018 एवं परिपत्र संख्या: १/२०१८ दिनांक 30.04.2018 के सम्बन्ध में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनके प्रकाश में उक्तानुसार जारी अधिसूचना, आदेश एवं परिपत्र के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः—

1. वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 25.04.2018 के अस्तित्व में आने से पूर्व में निषादित समर्त अनुबंध तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन अनुबंध अवधि तक प्रभावी रहेंगे।
2. वित्त (जी एण्ड टी) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.2 / एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी / 2017 दिनांक 14.05.2018 जिसके द्वारा वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ.९(१) एफ.डी.(1) Bud/2017 दिनांक 01.07.2015 को दिनांक 25.04.2018 से प्रत्याहरित किया गया है अतः दिनांक 14.05.2018 को जारी उक्त आदेश भी 25.04.2018 से ही प्रभावी होंगे।
3. दिनांक 25.04.2018 से 14.05.2018 तक अवधि में ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के सम्बन्ध में उपापन संस्थाओं के रूप पर बोली प्रक्रिया विचाराधीन होने के बावजूद यदि कार्यादेश जारी नहीं हुआ है और संवेदक के साथ करार निषादित नहीं किया गया है। तब उपापन पर वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.04.2018 प्रभावी होगी। जिन प्रकरणों में इस अवधि में कार्यादेश जारी होकर संविदा निषादित हो चुकी है, उन पर पूर्व के प्रावधान अनुबंध अवधि तक लागू रहेंगे।

4. समस्त उपापन संस्थाएँ ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के संबंध में उपापन की कार्यवाही वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प्रफ.2 /एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.04.2018 एवं राजस्थान लोक उपायने में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 28 में उल्लेखित उपापन की पद्धतियाँ (GeM सहित) के अनुसार कर सकेंगे।
5. वित्त विभाग द्वारा मानव संसाधन की सेवाओं को उपापन के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में व्यक्तिगत रूप से जोब बेसिस (job Basis) पर अनुबन्ध करने का उल्लेख नहीं किया गया है अपितु उपापन संस्था द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 की अनुपालना करते हुए संवेदक/सेवा प्रदाता के माध्यम से ही सेवाएँ जोब बेसिस पर लिया जाना सुनिश्चित किया जाना है अतः व्यक्तिगत अनुबन्ध नहीं किए जाकर संवेदक/सेवा प्रदाता के माध्यम से ही मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन किया जाना सुनिश्चित करें।
6. ESI एवं EPF की कटौती के संदर्भ में परिपत्र में दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया है अतः तदनुसार अनुपालना सुनिश्चित करें।
7. उक्त परिपत्र में ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने के लिए पृथक से कोई न्यूनतम दरों का निर्धारण नहीं किया गया है अपितु उपापन संस्था को मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन करते समय परिपत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों यथा प्रचलित न्यूनतम भजदूरी ,EPF,ESI आदि की अनुपालना करते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपापन किया जाना है।
8. ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने की सेवाएँ प्राप्त किए जाने हेतु वित्त(व्यय) विभाग के स्तर से पूर्व की भाँति नियमानुसार अनुग्रहन प्राप्त किया जाएँ।
9. वित्त विभाग (जीएपडी) के परिपत्र संख्या 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के दिशा-निर्देश समस्त प्रकार के मानव संसाधनों (ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर किराये पर लेने सहित) की सेवाओं के संबंध में लागू होंगे।


 (शशी राजपाल)
 शासन राजिव
 वित्त (बजट) विभाग



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक : 352

दिनांक : 21/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख निजी सचिव—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता, सजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक—अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम / द्वितीय / तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
5. वरिष्ठ निजी सहायक—सचिव / वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी / मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निजी सहायक—वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक / वरिष्ठ लेखाधिकारी—I/I/III/IV & V, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी—(Payment), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
10. कार्यालय प्रति।

वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

राजस्थान सरकार

वित्त (G&T) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)वित्त / एसपीएफसी / 2017

जयपुर, दिनांक 30/04/2018
संख्या 1/2018

परिपत्र

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ:- एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोखा बाई व 1 अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कलिपथ मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि अम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस विन्दु को ध्यान में रखते हुए परिवृत्त निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समर्त उपापन संस्थाओं को एतद्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकार्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्थाएँ द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान स्तोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का ध्यन करते हुए किया जाएगा परन्तु लोसमेन्ट ऐजेन्सीज के भाग्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न रोबाओं के संपादन में कार्यरत गांव और संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक विन्दुओं के राख साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा—

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निर्जानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :—

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (ऐन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं धागिजियक राजस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एकट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एकट 1956 के अन्तर्गत				

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देख पारिश्रमिक जो थिए प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या	EPF दर	ESI दर	प्रतिशत	प्रतोशत	सामग्री राशि/उपकरण किराया	रोटा प्रदाता का एविस वार्ज राशि	एल शारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. अक्षल 2. अद्व कृशल 3. कुशल 4. उच्च कृशल							

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा रामुचित प्रविष्टियां अंकित यी जा सकेंगी)

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

B

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम भजदूरी	सेवा द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	गुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. अफुशल- 2. बद्द छुशल- 3. कुशल- 4. उच्च छुशल-						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 की पूर्तियां राम्बन्धित उपापन संख्या द्वारा की जमकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

(iv) न्यूनतम भजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य नियंत्रण अधिनियम, 1952 एवं कर्नचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रयोगर की घोली में भाग लेने हेतु जर्हत हाँग, जर्जीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संख्या को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संख्या को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की रैक्टि की 4 धृष्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का घोली दस्तावेजों में रखष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संख्या द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 धृष्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम भजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम भजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को भजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जगा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संख्या को आगामी माह के मासिक वित्त के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जगा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संख्या की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम भजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भजदूरी का भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

✓

(ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम तरों के अनुसार अपने सम्बन्ध अधिकारों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नंबर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान को दिवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत आपने सारत श्रमिकों ला गिया तुमारे एवं एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का है।

(xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वरतु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वरतु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वरतु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रगाण रखरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वरतु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वरतु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निवेदन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दण्डों का संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

✓

* (xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विभाग अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समर्त उत्तरदायित्व संबंध का होगा।


(xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संबंदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।


(xviii) यदि संबंदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में अम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संबंदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं वरते हुए, इसे पृथक से न्यूनतम हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन ग्राहक जारी की राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संबंदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संबंदक का होगा।

(xx) उपापन संस्था द्वारा संबंदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति अम विभाग को सम्बन्धित ज़िला रत्नारीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय वर्ग अनिवार्य रूप से प्रेसित की जायेगी।

समर्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तों के साथ-साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दरतावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना। सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (iii) से (xix) का समावश सफल बोलीदाता/संबंदक से किए जाने वाले अनुबन्ध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।


(मंजू राजपाल)
शासन सचिव,
दिवा (दिवाट)




राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक : ३५३

दिनांक : २१/८/१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया गया है।

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निजी सहायक-वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी-III/IV & V, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी-(Payment), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
10. कार्यालय प्रति।


वित्तीय सलाहकार एवम् मु.ले.अ.

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर